



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268917
CG-DL-E-30122025-268917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5861]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947

No. 5861]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6061(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट जयपुर रिंग रोड (उत्तर) के किमी 0.000 से किमी 99.350 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में जयपुर रिंग रोड (उत्तर) के किमी 0.000 से किमी 99.350 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर-II, जयपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी 0 से कि.मी 99.35 तक	राजस्थान	जयपुर	रामपुरा डाबडी	1 बाढजाहोता

[फा. सं. NHAI/JPR/JRR(N)/LA1/2025]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6061(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 99.350 of Jaipur Ring Road (North) for building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of RAJASTHAN

SCHEDULE

Land acquisition from 0.000 to Km. 99.350 of Jaipur Ring Road (North) in the State of RAJASTHAN.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	ADM-II, Jaipur	No Yet to be Assigned KM 0 TO KM 99.35	RAJASTHAN	JAIPUR	RAMPURA DABRI	1 Badh Jahota

[F. No. NHAI/JPR/JRR(N)/LA1/2025]

SHAIKH AMINKHAN, Director